(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/07/2018

अपीलार्थी
श्री अमित कुमार शर्मा
निवासी–फ्लैट–एम, सागर अपार्टमेंट
6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ★ अलवर (राज0) ★ ALWAR (RAJ.)

प्रवेश तिथि : 11.01.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 25.01.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 23.11.17 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 03 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
5. आवेदक द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 23.11.17 के बिन्दु सं. 3 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2017/48–49 दिनांकः 11.01.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 25.01.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर पत्रांकः आर.टी.आई./2018/5942 दिनांकः 23.01.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर द्वारा निवेदन किया कि लोकसभा उपचुनाव, 2018 संबंधी कार्य में व्यस्त होने के कारण अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं. 3 में वांछित सूचना तहसीलदार लक्ष्मणगढ से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराकर अपील निस्तारण कर दी जावेगी।
8. प्राप्त अपीलोत्तर से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी बिन्दु सं. 3 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए सजग व तत्पर है किन्तु लोकसभा उपचुनाव, 2018 संबंधी कार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
9. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा, आवेदक द्वारा प्रा.पत्र दि0 23.11.17 के बिन्दु सं. 3 में वांछित सूचना, यदि तहसीलदार लक्ष्मणगढ (अलवर) से संबंधित थी, तो उक्त आवेदन/

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रा.पत्र दि0 23.11.17 को आंशिक रूप से (बिन्दु सं.3 की सूचना के लिए) तहसीलदार लक्ष्मणगढ को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जाना चाहिए था।

10.सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रावधान है कि "धारा 5 की उप–धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से, और *किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, पर विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा,* परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहॉ वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।"

11. यद्यपि चुनाव संबंधी कार्य समयबद्ध एवं महत्त्वपूर्ण प्रकृति का है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन/अनुरोध का निस्तारण, अधिनियम की भावना, उद्देश्य के अनुकूल निर्धारित समयावधि में ही किया जाना आवश्यक है।

12. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी विभाग लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदकों द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन, यदि अन्य विभाग से संबंधित हो तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में उपलब्ध प्रावधानानुसार अधिकतम अनुरोध प्राप्ति के 05 दिवस में संबंधित विभाग को अन्तरित किया जावे एवं हस्तगत प्रकरण में बिन्दु सं. 3 में वांछित सूचना, तहसीलदार लक्ष्मणगढ से प्राप्त कर अविलम्ब अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

14. निर्णय घोषित ।

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)